(वाद सं0–7472/4/6/2021)

14.07.2022

प्रसंगाधीन मामला, दीनदयाल अन्तोयदय राष्ट्रीय शहरी (योजना आजीविका मिशन) के तहत कार्यरत CRPs. का 11माह से मासिक वेतन का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित आरा नगर निगम, आरा के प्रतिवेदनानुसार सभी 10 CRPs. के पारिश्रमिक का भुगतान किया जा चुका है। किसी भी CRPs. के पारिश्रमिक का भुगतान बकाया नहीं है। प्रतिवेदनानुसार संबंधित CRPs. का एकरारनामा के शर्त्तो के आधार पर अनुबंध फरवरी 2020 से अक्टूबर 2020 एवं दिसम्बर 2020 से फरवरी 2021 तक का ही था।

अब, जबकि सभी संबंधित10 CRPs. के पारिश्रमिक का भुगतान सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से कोई निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक